<u>प्रशासन विभाग</u>

संख्या : डी. 12011/4/2015-चिकित्सा/प्रशासन **दिनांक : 29/06/2015**

<u>निगमित प्रशासनिक परिपत्र संख्या 5/2015</u>

विषय : चिरकालिक रोग के दवाओं की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया का सरलीकरण।

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या भाविप्रा/प्रशासन/चिरकालिक/2008 दिनांक 05-02-2008 का संदर्भ ग्रहण करें।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा भाविप्रा के **<u>सभी कार्मिकों [सेवारत/ सेवानिवृत्त]</u>** के कल्याण हेतु मासिक आधार पर तथा विशेष मामलों में तिमाही में खरीदे गए चिरकालिक रोग की दवाओं की प्रतिपूर्ति की वर्तमान प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, जैसा कि संदर्भ के तहत उपरोक्त परिपत्र के पैरा 1 (v) में निर्धारित किया गया है और इस तरह की प्रतिपूर्ति के लिए वर्तमान प्रक्रिया के स्थान पर निम्नलिखित **<u>सरलीकृत प्रक्रिया</u>** का प्रयोग किया जाएगा :-

“दवाओं को एक बार में अधिकतम 3 माह के लिए खरीद जा सकता है। हालांकि, किसी अपवाद की परिस्थिति में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए दवाई खरीदने की अनुमति दी जा सकती है”।

उपरोक्त परिवर्तन के परिणामस्वरूप खरीदी गई दवाओं के बिलों को आगामी तिमाही में प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है अर्थात जनवरी से मार्च के दौरान खरीदी गई दवाओं के बिलों को उसी वर्ष अप्रैल से जून तक प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

इसी प्रकार छह माह हेतु खरीदी गई दवाओं के बिलों को आगामी तिमाही में प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कि, जनवरी से जून के दौरान छह माह के लिए खरीदी गई दवाओं के बिलों को उसी वर्ष जुलाई से सितंबर के दौरान प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

--हस्ता ०--
(अनुज अग्रवाल)
सदस्य (मानव संसाधन)

<u>वितरण :</u>

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक
उत्तरी क्षेत्र/ दक्षिणी क्षेत्र/ पूर्वी क्षेत्र/ पश्चिमी क्षेत्र/ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
विमानपत्तन निदेशक
कोलकाता/ चेन्नई/ सफदरजंग हवाईअड्डा
कार्यपालक निदेशक
सीएटीसी/ आरसीडीयू/ सीआरएसडी/ एफआईयू/ आईएयू

<u>आंतरिक वितरण :</u>

अध्यक्ष महोदय के उपमहाप्रबंधक (ईएस)
उपमहाप्रबंधक (ईएस) - सदस्य (मानव संसाधन/ वित्त व लेखा/ एएनएस/ प्रचालन/ योजना)/ मुख्य सतर्कता अधिकारी
सभी विभागाध्यक्ष
महाप्रबंधक (आईटी) – भाविप्रा वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
सूचनापट्ट